COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 2704 / 79–वि–1–17–1(क) 25 / 17
लखनऊ, 6 जनवरी, 2018

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2017 पर दिनांक 5 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2018]
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के एकमात्र पहचानकर्ता के रूप में आधार का प्रयोग करते हुए सुशासन के उपाय के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं के लक्ष्यित परिदान हेतु, जिसके लिए व्यय पूर्णतः राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है तथा उससे सम्बन्धित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। 1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसाकि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं और किसी ऐसे उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उस उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषायें। 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''आधार संख्या'' का तात्पर्य केन्द्रीय अधिनियम की धारा 3 के अधीन किसी व्यक्ति को जारी की गई पहचान संख्या से है;

(ख) ''राज्य सरकार का अभिकरण'' का तात्पर्य स्थानीय निकायों और राज्य सरकार के स्वामीत्वाधीन तथा उसके द्वारा नियंत्रित किसी अन्य निकाय सहित उत्तर प्रदेश राज्य में किसी केन्द्रीय या राज्य विधि द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निकाय और इसमें सम्मिलित ऐसे निकायों से है जिनकी संरचना और प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है;

(ग) ''अधिप्रमाणन'' का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की जनसांख्यिकीय सूचना या बायोमैट्रिक सूचना सहित आधार संख्या केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार को उसके सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाती है और ऐसा निक्षेपागार अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसकी शुद्धता या तत्सम्बन्धी कमी को सत्यापित करता है;

(घ) ''प्रसुविधा'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को प्रदत्त नकद या वस्तु के रूप में किसी लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष या संदाय से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य प्रसुविधायें सम्मिलित हैं;

(ड़) ''बायोमेट्रिक सूचना'' का तात्पर्य फोटोग्राफ, फिंगर प्रिंट, आईरिस स्कैन, या केंद्रीय अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के अन्य जैविक प्रतीकों से है;

(च) ''केन्द्रीय अधिनियम'' का तात्पर्य आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 से है; 2016 का 18।

(छ) ''केन्द्रीय पहचान आंकड़े निक्षेपागार'' का तात्पर्य एक या अधिक अवस्थानों में ऐसे केंद्रीयकृत आंकड़ाआधार से है जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी समस्त आधार संख्याओं के साथ ऐसे व्यक्तियों की सम्बन्धित जनसांख्यिकीय सूचना और बायोमेट्रिक सूचना तथा उससे संबंधित अन्य सूचना अन्तर्विष्ट है;

(ज) ''संचित निधि'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से है;

(झ) ''जनसांख्यिकीय सूचना'' में नाम, जन्म–तिथि, पता और केंद्रीय अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी व्यक्ति की अन्य सुसंगत सूचना से संबंधित सूचना सम्मिलित है किन्तु उसमें मूलवंश, धर्म, जाति, जनजाति, सजातीयता, भाषा, हकदारी, आय या चिकित्सा इतिहास के अभिलेख सम्मिलित नहीं होंगे;

(ञ) ''नामांकन'' का तात्पर्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के प्रयोजन से नामांकन अभिकरणों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया से है;

(ट) ''सेवा'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को किसी भी रूप में उपबंधित किसी व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या किसी अन्य सहायता से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं;

(ठ) ''सहायिकी'' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नकद या वस्तु के रूप में किसी प्रकार की सहायता, समर्थन, अनुदान, आर्थिक सहायता या विनियोग से है और इसमें राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर अधिसूचित की जाने वाली अन्य सहायिकियां सम्मिलित हैं;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु ऊपर अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके लिये केन्द्रीय अधिनियम में समनुदेशित हैं।

कतिपय सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं इत्यादि की प्राप्ति के लिये आवश्यक आधार संख्या का सबूत।

3. यथास्थिति राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई अभिकरण, किसी सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा, जिसके लिए व्यय राज्य की संचित निधि या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा स्थापित किसी निधि के अंश में से निकासी या प्राप्ति के माध्मय से पूर्णतया उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए शर्त के रूप में किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए यह अपेक्षा कर सकती/सकता है कि ऐसे व्यक्ति का अधिप्रमाणन कराया जाए या आधार संख्या धारण करने का सबूत दे या ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसको कोई आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, ऐसा व्यक्ति नामांकन के लिए आवेदन करता है;

परन्तु यदि, जब तक कि किसी व्यक्ति को आधार संख्या समनुदेशित नहीं की जाती है, तब तक ऐसे व्यक्ति को सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा के परिदान के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य पहचान का साधन प्रदान किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा योजनायें अधिसूचित किया जाना।

4. राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर और उसके पश्चात योजनाओं, सहायिकियों, प्रसुविधा और सेवाओं, जिनके लिए धारा–3 के अधीन ऐसा अधिप्रमाणन या सबूत अपेक्षित है, की सूची समय–समय पर अधिसूचित करेगी।

केन्द्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और छः का लागू होना।

5. केंद्रीय अधिनियम के अध्याय तीन और अध्याय छः के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन के लिए यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अतिरिक्त होना न कि उसके अल्पीकरण में होना।

6. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में होंगे।

COURT BOOK
ENGINEERING LEGAL CLARITY

सद्भावपूर्वक कीगयी कार्यवाही का संरक्षण।

7. इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशायित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध नहीं दायर होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

8. (1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या किसी भी मामले में उपबंध किया जा सकता है, अर्थात् :–

(क) विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं और अन्य प्रयोजनों, जिनके लिए आधार संख्या का उपयोग किया जा सकता है, की व्यवस्था किये जाने या उनका उपभोग किये जाने के प्रयोजनार्थ आधार संख्या के उपयोग की रीति को विनिर्दिष्ट करना;

(ख) कोई अन्य मामला जो अपेक्षित हो या विनिर्दिष्ट किया जा सकता हो या जिसके संबंध में नियमावली द्वारा उपबंध किया जाना हो।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिये सत्र में हो, रखा जायेगा, यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी होगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक पश्चात् के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन किसी नियम में कोई उपान्तरण करने के लिये सहमत हो जायं अथवा दोनों सदन सहमत हो जायं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये और अपने इस आशय का विनिश्चय गजट में अधिसूचित करें तो नियम यथास्थिति अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा अथवा प्रभावी नहीं होगा; तथापि यह कि इसप्रकार के उपान्तरण या रदद्करण का प्रतिकूल प्रभाव उस नियम के अधीन पहले से की गयी या न की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर नहीं पड़ेगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

9. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवर्तित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति उत्पन्न होती है, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारण

विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधा सम्बन्धी योजनाओं, जो उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से वित्तपोषित हैं, के परिदान के लिये लक्ष्यित लाभार्थियों की उचित पहचान, इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रमों के ऐसे उचित लक्ष्यकरण से कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों यथा महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, प्रवासी, अकुशल और असंगठित कर्मकारों तथा घुमन्तू जनजातियों आदि को पूर्णतः आच्छादित करना सुगम होगा। लाभार्थियों की पहचान को अधिप्रमाणित करने की विश्वसनीय प्रणाली से अग्रतर यह सुनिश्चित होगा कि सहायिकी, प्रसुविधायें तथा सेवायें आशायित लाभार्थियों तक पहुॅच सकें।

भारत सरकार ने विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधा सम्बन्धी योजनाओं, जो भारत की संचित निधि से वित्तपोषित हैं, के परिदान के लिये आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम की धारा 57 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किसी प्रयोजन के लिये किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने हेतु आधार संख्या का उपयोग किया जाना निवारित नही है। तदनुसार विभिन्न सहायिकियों, प्रसुविधाओं, सेवाओं, अनुदानों, मजदूरियों और अन्य सामाजिक प्रसुविधा सम्बन्धी योजनाओं, जो उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि से वित्तपोषित हैं, के परिदान के लिये आधार पहचान के उपयोग को जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का अपना अधिनियम होना आवश्यक हो गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के एकमात्र पहचानकर्ता के रूप में आधार का प्रयोग करते हुये सुशासन के उपाय के रूप में दक्ष, पारदर्शी और सहायिकियों, प्रसुविधाओं तथा सेवाओं, जिनके लिये व्यय पूर्णतः राज्य की संचित निधि से उपगत किया जाता है, के लक्ष्यित परिदान हेतु और उससे सम्बन्धित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY